फाइल नं0-71-3002(003)/2/2022-03

36/2023/1/286610/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
मीरजापुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, मीरजापुर हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि का आवंटन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0मी0/2022-23/2066, दिनॉक 22.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, मीरजापुर हेतु गैर वेतन मद में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, मीरजापुर हेतु विभिन्न शासनादेशों द्वारा मानक मद-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में निम्न विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त की गई है:-

(रू0 लाख में)

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मीरजापुर	600.00	शासनादेश दिनॉक 29.04.2022 द्वारा प्रथम किश्त रू0 166.66 लाख	**600.00**
			शासनादेश दिनॉक 22.07.2022 द्वारा द्वितीय किश्त रू0 33.34 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 08.09.2022 द्वारा तृतीय किश्त रू0 100.00 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 21.10.2022 द्वारा चतुर्थ किश्त रू0 100.00 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 24.11.2022 द्वारा पंचम किश्त रू0 100.00 लाख	
			शासनादेश दिनॉक 02.02.2023 द्वारा छठी किश्त रू0 100.00 लाख	

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व पक्ष के अधीन अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मीरजापुर हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 900.00 लाख (रू0 नौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5- धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
6- यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 9,00,00,000 (रूपये नौ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050355 मेडिकल कालेज, मीरजापुर मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-534-दस/2022-23, दिनॉक 06 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या उपरोक्त तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मीरजापुर।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।